

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आयोग के संबंध में आवश्यक जानकारी

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

### उद्देशिका (मिशन स्टेटमेंट)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, का गठन राज्य शासन द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसरण में किया गया है। आयोग उक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करता है। आयोग का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत, जो कि विकास का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, वाणिज्यिक नीति पर आधारित होते हुए भी, ऐसे मूल्य पर उपलब्ध हो जो जन-साधारण की पहुँच में हो। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार हेतु ऐसे दिशा-निर्देश एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु क्रियाशील है जिनसे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो। अपने कार्य को संपन्न करने हेतु आयोग, इस विषय से संबंधित समस्त व्यक्तियों विशेषतः उपभोक्ताओं की भागीदारी प्राप्त करने के प्रति सदा-सर्वदा सजग है। आयोग, राज्य में ऐसे विनियमित परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश में विद्यमान ताप-विद्युत एवं जल-विद्युत तथा विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले तथा साथ ही साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी न हो।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करने के अनुक्रम में आयोग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर [विनियम](#) बनाए गए हैं तथा [याचिकाओं](#) का निराकरण किया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम 2005 के प्रावधानों के अधीन [प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण](#) आगामी वर्ष में आयोग द्वारा तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 104(4) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित वार्षिक लेखे एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन भी आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। उक्त दोनों प्रतिवेदन तथा संपरीक्षित वार्षिक लेखे राज्य शासन द्वारा विधान-सभा के पटल पर रखे जाते हैं।

### आयोग की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 में निहित प्रावधानों के अधीन अधिसूचना क्रमांक [3190/S/E/2002](#) दिनांक 23/08/2002 सहपठित अधिसूचना क्रमांक [432/R/352](#) दिनांक 11/05/2004 के द्वारा किया गया। अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष आयोग के मुख्य कार्यपालक होते हैं। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह तथा सदस्य श्री अरुण कुमार शर्मा हैं।

## आयोग का संगठनात्मक चार्ट :-

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया। राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 10-3/2004/13/1 दिनांक 28.05.2010 द्वारा आयोग हेतु नये स्वीकृत पदों की संख्या सम्मिलित कर दिनांक 31.03.2016 की स्थिति में संगठनात्मक विवरण निम्नानुसार है:

स. क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	स्वीकृत पद संख्या	वेतनमान	ग्रेड-पे	भरे हुए पद की संख्या	रिक्त पद की संख्या
	<b>आयोग सचिवालय</b>					
1.	सचिव	1	37400-67000	10000	01	-
2.	उप सचिव	1	15600-39100	7600	01	-
3.	उप निदेशक (उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ)	1	15600-39100	6600	-	01
4.	सहायक संचालक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	1	15600-39100	5400	-	01
5.	अनुभाग अधिकारी	1	9300-34800	4400	-	01
	<b>तकनीकी विभाग</b>					
6.	निदेशक	1	37400-67000	10000	01	-
7.	संयुक्त निदेशक	1	15600-39100	7600	01	-
8.	उप निदेशक	2	15600-39100	6600	01	01
9.	सहायक संचालक	2	15600-39100	5400	-	02
	<b>टैरिफ विभाग</b>					
10.	निदेशक	1	37400-67000	10000	01	-
11.	संयुक्त निदेशक	1	15600-39100	7600	01	-
12.	उप निदेशक	1	15600-39100	6600	01	-
13.	सहायक संचालक	1	15600-39100	5400	-	01
	<b>वित्त विभाग</b>					
14.	अर्थप्रबंध सलाहकार	1	37400-67000	8700	-	01
15.	वित्तीय सलाहकार	1	15600-39100	7600	01	-
	<b>विधि विभाग</b>					
16.	निदेशक	1	37400-67000	10000	-	01
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	15600-39100	7600	01	-
18.	विधि अधिकारी	1	15600-39100	6600	-	01
	<b>प्रशासकीय विभाग</b>					
19.	लेखाधिकारी	1	15600-39100	5400	01	-
20.	निज सचिव	2	9300-34800	4800	01	01
21.	निज सहायक	5	9300-34800	4300	01	04
22.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	2	9300-34800	4300	02	-
23.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	9300-34800	4200	-	01
24.	स्टेनोग्राफर	5	5200-20200	2800	03	02
25.	कम्प्यूटर सहायक	3	5200-20200	2400	-	03

26.	सहायक ग्रेड-2	4	5200-20200	2400	03	01
27.	स्टेनो टायपिस्ट	4	5200-20200	1900	—	04
28.	सहायक ग्रेड-3	5	5200-20200	1900	01	04
29.	वाहन चालक	4	5200-20200	1900	03	01
30.	भृत्य	11	4440-7440	1300	10	01
31.	माली	1	4440-7440	1300	—	01
	<b>योग</b>	<b>68</b>			<b>35</b>	<b>33</b>

### आयोग के कृत्य: —

(1) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है :-

- (i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और संचरण (व्हीलिंग) के लिये टैरिफ का निर्धारण।
- (ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ट्रेडर, अथवा अन्य स्रोतों से किया जाना है, उस प्रक्रिया का एवं दर का विनियमन करना।
- (iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा संचरण को सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना।
- (iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) के लिये अनुज्ञप्ति प्रदाय करना।
- (v) विद्युत के सह उत्पादन एवं नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को पोत्साहित करने के लिए ग्रिड से संयोज्यता के समुचित उपाय विनिर्दिष्ट करना तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक को उसके क्षेत्र में खपत का एक प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय हेतु निर्धारित करना।
- (vi) अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों का निराकरण करना और माध्यस्थता के लिये किसी विवाद को निर्दिष्ट करना।
- (vii) अधिनियम के उद्देश्यों हेतु शुल्क नियत करना।
- (viii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत राज्य ग्रिड कोड का विनियमन।
- (ix) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना।
- (x) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना।
- (xi) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 86(2) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:-

- (i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

- (ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;
- (iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं
- (iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को विनिदिष्ट किया गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, और विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

### आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य एवं दूरभाष क्रमांक आदि

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	फोन न.	कृत्य एवं शक्तियाँ	वेतनमान
1.	श्री नारायण सिंह	अध्यक्ष	0771-4073550 0771-2445857	आयोग के मुख्य कार्यपालक है तथा सदस्य महोदय के साथ मिलकर टैरिफ निर्धारण व अन्य याचिकाओं का निराकरण कर आदेश / निर्णय पारित करना	रु. 80000/- एवं अन्य भत्ते
2.	श्री अरूण कुमार शर्मा	सदस्य	0771-4073551 0771-2445847	अध्यक्ष महोदय के साथ मिलकर टैरिफ निर्धारण व अन्य याचिकाओं का निराकरण कर आदेश / निर्णय पारित करना	37400-67000 एवं अन्य भत्ते
3.	श्री पी.एन. सिंह	सचिव	0771-4048788	(1) याचिकाओं/आवेदनों को प्राप्त करना, इनकी सार एवं संक्षेपिकाएँ तैयार करवाना, आयोग के आदेशों के प्रतिलिपियों को अभिप्रमाणित करना, विभिन्न कार्यों में आयोग का सहयोग करना, आयोग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आदि। (2) आयोग के समक्ष आने वाले मामलों के तकनीकी पक्ष का विश्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	रु. 112403/- संविदा नियुक्ति
4.	श्री व्ही.के. श्रीवास्तव	निदेशक (टैरिफ)	0771-4025885	आयोग के समक्ष आने वाले मामलों के तकनीकी पक्ष का विश्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	रु. 116244/- संविदा नियुक्ति
5.	श्री एस.पी.शुक्ला	निदेशक (इंजीनियरिंग)	0771-4073568	आयोग के समक्ष आने वाले मामलों के तकनीकी पक्ष का विश्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	37400-67000 10000 ग्रेड पे
6.	श्री सुरोबिन रॉय	वित्तीय विश्लेषक	0771-4073552	आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने वाले मामलों में आवश्यक होने पर वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना एवं आयोग को अन्य वित्तीय सलाह देना।	15600-39100 7600 ग्रेड पे

7.	श्री विवेक गनोदवाले	वरिष्ठ विधि अधिकारी	0771-4073557	आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने वाले मामलों की वैधानिक प्रावधानों के अनुसार छानबीन कर आयोग को अवगत करना तथा आवश्यकतानुसार विधिक सलाह देना।	15600-39100 7600 ग्रेड पे
8.	श्री सुरेन्द्र सिंह	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	0771.4016219	आयोग के समक्ष आने वाले टैरिफ याचिकाओं के तकनीकी पक्ष का विश्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	15600-39100 7600 ग्रेड पे
9.	श्री कमलेश दिल्लीवार	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	0771-4057436	आयोग के समक्ष आने वाले मामलों के तकनीकी पक्ष का विश्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	15600-39100 7600 ग्रेड पे
10.	श्रीमति आशा व्ही. देव	उप सचिव	0771-4050792		प्रतिनियुक्ति
11.	श्री रमेश कुमार प्रसाद	उप निदेशक (टैरिफ)	0771-4048585	आयोग के समक्ष आने वाले टैरिफ याचिकाओं के तकनीकी पक्ष का विश्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	प्रतिनियुक्ति
12.	श्री सिद्धार्थ पाण्डेय	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	0771-4048585	आयोग के समक्ष आने वाले मामलों के तकनीकी पक्ष का विश्लेषण करना तथा आयोग को सहयोग देना।	प्रतिनियुक्ति
13.	श्री पी. वेनुगोपाल	लेखाधिकारी	0771-4073561	आयोग के लेखांकन का कार्य	15600-39100 5400 ग्रेड पे
14.	श्री अमल गुहा	निज सहायक	0771-4073551	आयोग के अध्यक्ष के निज सचिव	9300-34800 4800 ग्रेड पे
15.	श्री इंद्रेश गुप्ता	सहा. कम्प्यूटर प्रोग्रामर	0771-4073555	कम्प्यूटर से संबंधित कार्य	9300-34800 4300 ग्रेड पे
16.	श्री नीरज वर्मा	सहा. कम्प्यूटर प्रोग्रामर	0771-4073555	कम्प्यूटर से संबंधित कार्य	9300-34800 4300 ग्रेड पे
17.	श्री अशोक मंडल	का.सा.वर्ग-2	0771-4073561	लेखा संबंधी कार्य	5200-20200 2400 ग्रेड पे
19.	श्री महेश टेम्भूर्णे	का.सा.वर्ग-2	0771-4069817	स्थापना एवं आवक जावक संबंधी कार्य	5200-20200 2400 ग्रेड पे
18.	श्री मनोज लहरे	का.सा.वर्ग-2	0771-4069817		5200-20200 2400 ग्रेड पे
21.	श्री देवेनगिरि गोस्वामी	का.सा.वर्ग-3	0771-4069817		5200-20200 1900 ग्रेड पे
22.	श्री ए.वल्ला नायडू	स्टेनोग्राफर	0771-4069817	अंग्रेजी शीघ्रलेखन संबंधी कार्य	5200-20200 2800 ग्रेड पे
23.	कृ. जयंती मंडावी	स्टेनोग्राफर	0771-6451539	हिन्दी शीघ्रलेखन संबंधी कार्य	5200-20200 2800 ग्रेड पे
24.	श्री विजेन्द्र चंद्राकर	स्टेनोग्राफर		अंग्रेजी शीघ्रलेखन संबंधी कार्य	5200-20200 2800 ग्रेड पे

## राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 एवं 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा राज्य सलाहकार समिति एवं उसके अधीनस्थ सेवा नैमित्तिक से संबंधित [छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग \(राज्य सलाहकार समिति\) विनियम, 2004](#) बनाया गया है।

उपरोक्त विनियम के अनुसरण में समय-समय पर निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये गये हैं:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिनिधित्व
1.	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, रायपुर।	विशेष आमंत्रित
2.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर।	पदेन सदस्य
3.	प्रबंध निदेशक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., डंगनियां, रायपुर	अनुज्ञप्तिधारी
4.	निदेशक, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर।	अनुसंधान निकाय
5.	मुख्य विद्युत वितरण इंजीनियर (सी.ई.डी.ई.), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, विद्युत विभाग, बिलासपुर।	परिवहन
6.	महापौर, रायपुर नगर पालिक निगम, रायपुर।	उपभोक्ता
7.	उपाध्यक्ष, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सी.आई.आई.), छत्तीसगढ़ चैप्टर रायपुर, अवंती विहार, रायपुर।	उद्योग
8.	महासचिव, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, रायपुर	उद्योग
9.	श्री अनिल शिवदसानी, अध्यक्ष, विद्युत कमेटी, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ, तिफरा औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर	उद्योग
10.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, 8-बी, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, भनपुरी, रायपुर।	उद्योग
11.	श्री यू.एस.गुप्ता, 17/5 नेहरू नगर (पश्चिम), भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	उपभोक्ता
12.	श्री कौन्तेय जायसवाल, माँ शारदा फूड प्रोडक्ट, औद्योगिक प्रक्षेत्र अजिरमा, मनेन्द्रगढ़ रोड, पोस्ट- राघवपुरी, अम्बिकापुर।	उद्योग
13.	श्री अरुण चौबे, अध्यक्ष, श्रम कल्याण मण्डल, मैना रेस्टोरेण्ड के पीछे, रायपुर चौक, वसुन्धरा नगर, रायपुर	श्रम
14.	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, गली नं. 2, शिव मंदिर के पास, फाफाडीह, रायपुर।	उद्योग
15.	श्री नरेश कुमार सोमानी, एम.आई.जी.-19-20, पदनाभपुर, दुर्ग।	उपभोक्ता
16.	श्री धीरज कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, जय प्रकाश मेमोरियल सेन्टर, 361, वर्ड नंबर-4, बस्तर डिविजन, किरंदुल-494 556	गैर सरकारी संगठन
17.	श्री अमर धावना, चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, द्वारा- मे. अमर एजेन्सी एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, मांगड़ापारा, एम.जी. रोड, रायपुर।	उद्योग
18.	श्री डी.पी. शर्मा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल, 183, हरसिंगार, राजकिशोर नगर, बिलासपुर-494 556	उपभोक्ता
19.	डा. संदीप शर्मा, अध्यक्ष, समर्पित, 37 गितांजली एन्क्लेव, रिंग रोड, नं.-2, बिलासपुर।	गैर सरकारी संगठन
20.	श्री संतोष तिवारी, बस्तर किसान कल्याण संघ, मोती तालाब पारा, जगदलपुर	कृषक
21.	डा. एन.डी. लोन्धे, सहायक प्राध्यापक, राष्ट्रीय प्रद्योगिकी संस्थान, जी.ई. रोड, रायपुर।	शैक्षणिक निकाय

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) का ब्यौरा

(1) सीजीआरएफ रायपुर (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के उपभोक्ताओं हेतु)

श्री पी.सी.जैन (अध्यक्ष), श्री ए.के. सोनी (सदस्य),

पता— कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) रायपुर, सी-5, विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.)

फोन : 0771-2593112

कार्यक्षेत्र—मुख्य अभियन्ता (छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी) रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव एवं जगदलपुर का सम्पूर्ण परिक्षेत्र।

(2) सीजीआरएफ बिलासपुर (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के उपभोक्ताओं हेतु)

श्री देवाशीष नन्दे (अध्यक्ष), श्री समरजीत मैती (सदस्य),

पता —कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) बिलासपुर, क्वा.नं. बी-1, पुराना विद्युत मंडल कालोनी, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.)

फोन : 07752-427010

कार्यक्षेत्र—मुख्य अभियन्ता (छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी) बिलासपुर एवं अम्बिकापुर का सम्पूर्ण परिक्षेत्र।

(3) सीजीआरएफ रायगढ़ (वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिंदल स्टील एंड पॉवर लि. के उपभोक्ताओं हेतु)

श्री राजेश कुमार अग्रवाल (अध्यक्ष), श्री अरविन्द दवे (सदस्य),

पता— कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) रायगढ़, जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, खरसिया रोड, पो.बॉक्स नं.—16, रायगढ़ (छ.ग.) फोन : 9827477104

कार्यक्षेत्र —रायगढ़ जिले में स्थित पूंजीपत्रा एवं तुमडीह गांव के विद्युत उपभोक्ता जिन्होंने JSPL से विद्युत आपूर्ति ले रखी है।

(4) सीजीआरएफ भिलाई (वितरण अनुज्ञप्तिधारी सेल—भिलाई स्टील प्लांट के उपभोक्ताओं हेतु)

श्री चन्द्र शेखर शर्मा (अध्यक्ष), श्रीमती सरोज सिंह (सदस्य),

पता— कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) भिलाई, पुराना मरोदा हिन्दी मिडियम स्कूल, भिलाई स्टील प्लांट, डीपीएस के पीछे, मरोदा भिलाई (छ.ग.) फोन: 0788-2858383

कार्यक्षेत्र—भिलाई शहर के उपभोक्ता जिन्होंने BSP से विद्युत आपूर्ति ले रखी है।

विद्युत लोकपाल (इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन) (सभी अनुज्ञप्तिधारकों के उपभोक्ताओं हेतु)

श्रीमती अनुराधा खरे, विद्युत लोकपाल (इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन) पता— कार्यालय विद्युत लोकपाल, विद्युत नियामक भवन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन — 0771-4022249, 0771-6451539

कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश।

## निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

### आयोग की कार्यप्रणाली

अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि आयोग अपने कार्य निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता बरतेगा एवं इसमें उपभोक्ताओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करेगा। आयोग की कार्यप्रणाली न्यायिक कार्यप्रणाली के तुल्य है। आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार है। उपरोक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा “[कार्य संचालन विनियम, 2009](#)” बनाया गया है। इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
- याचिका शुल्क लाईसेंसी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग-अलग निर्धारित हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना-पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय-सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनांक तक समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत निपटाने की कोशिश करेगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है।
- विद्युत अधिनियम के अनुसार आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया माध्यमस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत संचालित की जायेगी।
- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के लिए आदेश कर सकेगा।
- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत उनके विरुद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम-काज की जाँच करा सकता है।
- यदि आयोग के किसी नियम-कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार के शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है।
- इसके साथ यदि व्यक्ति निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है, जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।
- आयोग के समक्ष सभी मामलों की सुनवाई खुले रूप से होती है जहाँ कोई भी संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकता है। उपर्युक्त मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

### आयोग की शक्तियाँ

- (1) विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908



(5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः—

- (i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना ;
  - (ii) किसी (विलेख) दस्तावेज/साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य संदर्भित सामग्री की खोज और उसकी प्रस्तुति के लिये या;
  - (iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;
  - (iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।
  - (v) साक्षियों के परीक्षण के लिये निर्देश जारी करना;
  - (vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना;
  - (vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये ।
- (2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ हैं ।
- (3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे ।

### आयोग द्वारा विनियमों का जारी करना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौंपे गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार विनियम का बनाना आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य है। उपरोक्त विनियम बनने के पूर्व प्रारूप विनियमों तथा अन्य दिशा निर्देशों पर जन सामान्य तथा विशेष रूप से प्रभावित घटक-संस्थाओं, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, अनुज्ञप्तिधारियों, शासन, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से उपरोक्तानुसार सुझाव आपत्तियाँ तथा टिप्पणियाँ प्राप्त की जाती हैं ।

आयोग द्वारा विनियम बनाने की प्रक्रिया अधिसूचना (नोटिफिकेशन) द्वारा की जाती है। अधिसूचना का अभिप्राय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। धारा 181 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा बनाए गए समस्त विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

अतः पूर्व प्रकाशन हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

- प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट पर रखे जायेंगे तथा प्रारूप विनियमों की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय व पुस्तकालय में कार्यालय के कार्य-अवधि में कार्य दिवसों में उपलब्ध होंगी।
- प्रारूप विनियमों के बारे में आपत्ति/सुझाव/टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु सर्वाधिक प्रसारित दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा आयोग के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूचना में संक्षेप में विनियम की विषय-वस्तु समाविष्ट होगी।
- प्रारूप विनियम की एक-एक प्रतिलिपि निम्नलिखित में से प्रत्येक को भेजी जायेगी:—
  - (क) राज्य शासन के ऊर्जा विभाग में
  - (ख) राज्य सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य को ।
  - (ग) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को ।

- दो सप्ताह या उससे अधिक समय जैसा आयोग द्वारा समुचित माना जाये, आपत्तियाँ, सुझाव व टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा।
- समुचित प्रकरणों में आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों, सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर अथवा अन्यथा प्रारूप विनियम पर जन-सुनवाई की जा सकती है।
- विनियम को अंतिम रूप जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा। प्रकाशन के उपरांत विनियम को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना आयोग के आम सूचना-पटल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा एक प्रेस-विज्ञप्ति भी जारी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार स्थापना वर्ष 2004 से लेकर अब तक आयोग ने अनेक विनियम तैयार किये हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

### विद्युत के प्रदाय हेतु टैरिफ का निर्धारण

आयोग के द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार विद्युत कम्पनियों को प्रति वर्ष नवम्बर के अन्त तक विद्युत दरों के निर्धारण हेतु याचिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।

### टैरिफ निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

- (i) याचिका की प्राप्ति
- (ii) आपत्तियां एवं टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिये प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन
- (iii) कम्पनियों द्वारा याचिका में प्रस्तावित संशोधन, यदि कोई हो तो उसका प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन
- (iv) टैरिफ आवेदन पर विचार के लिए राज्य विद्युत सलाहकार समिति की विशेष बैठक আহूत करना
- (v) राज्य के विभिन्न स्थानों पर जन सुनवाई करना
- (vi) टैरिफ आदेश पारित करना  
(आवेदन से लेकर आदेश पारित होने की अवधि अधिकतम 120 दिवसों की होती है )

### अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु स्थापित मानदंड

टैरिफ निर्धारण हेतु प्रस्तुत आवेदन को आगे कार्यवाही हेतु स्वीकार करने के दिनांक से 120 दिनों के भीतर आवेदन का अंतिम निराकरण करने की समय सीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई है। अन्य मामलों का निराकरण यथा संभव शीघ्रातिशीघ्र किया जाता है।

### कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम विनियम आदि

आयोग ने अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु विभिन्न विनियम बनाये हैं। जो आयोग की वेबसाइट [www.cserc.gov.in](http://www.cserc.gov.in) पर उपलब्ध है।

### बजट संबंधी जानकारी

विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्र.36 सन् 2003) की धारा 180 उपधारा (2) के खण्ड (ज) एवं (झ) सहपठित धारा 104 एवं धारा 106 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं

बजट) नियम 2007 बनाया गया। जिसके तहत आयोग द्वारा वित्तीय बजट प्रत्येक वर्ष के सितम्बर माह के अंत तक तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। तदनुसार राज्य शासन बजट का आवश्यक प्रावधान करती है।

सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रत्येक आवेदन 10/- रू. के आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावेगा। फोटोकॉपी हेतु प्रतिपेज 2/- रू की दर से शुल्क देय होगा।

आयोग से संबंधित अन्य सभी जानकारी आयोग की वेबसाइट [www.cserc.gov.in](http://www.cserc.gov.in) पर उपलब्ध है।

#### **अपीलीय अधिकारी-**

श्री पी.एन. सिंह, सचिव  
फोन न. 0771-4048788

#### **लोक सूचना अधिकारी -**

श्री विवेक गनोदवाले, वरिष्ठ विधि अधिकारी  
फोन न. 0771-4073557

#### **सहायक जन सूचना अधिकारी-**

श्री पी. वेणुगोपाल, लेखाधिकारी  
फोन न. 0771-4073561